क्रम संख्या–192 (ट) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 19 दिसम्बर, 2016 ई0

अग्रहायण 28, 1938 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 384/XXXVI (3)/2016/81(1)/2016

देहरादून, 19 दिसम्बर, 2016

## अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016'** पर दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 36 वर्ष, 2016 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

# उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 36, वर्ष 2016)

उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 12 वर्ष 2011) में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

## अधिनियम

भारत के गणराज्य के सडसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:-

**संक्षिप्त नाम नाम एवं प्रारम्भ**

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(2) यह राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने की तारीख से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

**परिभाषायें**

2. (1) जब तक कि प्रसंग सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:-

(क) **"मूल अधिनियम"** से उत्तराखंण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 अभिप्रेत है;

(ख) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं है किन्तु उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

**धारा 42 का प्रतिस्थापन**

3. उत्तराखण्ड ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की धारा 42 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा-

विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम से प्लेज्ड पांच करोड़ रूपये की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी के रूप में स्थापित की जायेगी, जिसकी अवधि पांच वर्ष की होगी, उसके उपरान्त पुनः पॉच वर्ष के लिये नवीनीकरण कराया जायेगा।

आज्ञा से,

**आर0सी0 खुल्वे,**
प्रमुख सचिव।